तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अशोक कुमार गोपाल धारा 251 RTA मु.नं. 129/24	
	वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 06.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2747, 3079, 3080 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/2 हिस्से का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व प्रार्थी ने मौके पर भूमियों का बाह्मी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 3080 रकबा 0.0800 हैक्टर पर काबिज काश्त व आबाद चला आ रहा है। प्रार्थी के उक्त भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता 4 मीटर चौडाई का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3095 रकबा 1.4900 हैक्टर व 3091 रकबा 0.5900 हैक्टर तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर में से होकर नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार कदीम से चला आ रहा होकर आवागमन करता आ रहा है एंव अपने साधन वाहन टैक्ट्रर ट्रोली आदि लाता ले जाता रहा है। उक्त रास्ता कदीम से चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने से उक्त एकमात्र रास्ता को बंद करने तथा रास्ता में अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्ध करना चाहते है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी का एकमात्र लघुत्तम एंव सरलतम रास्ता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) की शर्तें व नियमों की पालना करने को तैयार है तथा प्रार्थी डी.एल.सी. दरों की दुगनी राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी के तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम रास्ता है तथा उक्त चाहे गये रास्ते में भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोहर कुमार गोयल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम की तालीम

ग्रा०प्र० 251(R) A — 129/24

का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते में सम्मिलित की जाने वाली भूमि खसरा नम्बर 3091 मे 4 मीटर चौड़ाई व 94 मीटर लम्बाई में कुल 376 वर्गमीटर एंव खसरा नम्बर 3095 मे 4 मीटर चौड़ाई व 114 मीटर लम्बाई में कुल 456 वर्गमीटर कुल रकबा 832 वर्गमीटर अवस्थित तन् ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर के अनुसार रास्ता दिये जाने तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए उक्त रास्ते की एवज मे वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगनी राशि जमा करवाने की शर्त पर रास्ता दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3080 के अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है। खसरा नम्बर 3080 कृषि भूमि नहीं है एंव ना ही कभी कृषि भूमि रही है। खसरा नम्बर 3080 रकबा 0.08 हैक्टर में अर्सा 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थी के रिहायशी मकान बना हुआ है। प्रार्थी अपनी इस खसरा नम्बर 3080 की रिहायशी आबादी के लिए कदीमी समय से रास्ता खसरा नम्बर 3091 व 3092 के सहारे-सहारे पूर्व-पश्चिम मौके पर मौजूद व विद्यमान होकर चालू है, जिससे होकर प्रार्थी का आवागमन होता आया है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3091 व 3095 में से होकर प्रार्थी का न तो कभी कोई रास्ता रहा है, ना ही हो सकता है। भूमि खसरा नम्बर 3080 में 50 वर्ष से कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त खसरा नम्बर 3080 मे सम्पूर्ण ... रिहायशी मकान बना हुआ होने से प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि मे नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा अपनी आबादी भूमि जिसका रकबा 0.08 हैक्टर के लिए चाहे गये रास्ते में अप्रार्थीगण का क्षेत्रफल 0.792 वर्गमीटर भूमि जा रही है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोहर बनाम गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible] जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र०सं० 251 RTA [illegible]	

प्रार्थी की खसरा नम्बर 3080 में कृषि सिंचाई के लिए करीब 50 वर्ष से खसरा नम्बर 3091 व 3092 के उत्तरी दिशा की भूमि में से पूर्व-पश्चिम रास्ता कदीमी समय से चालू होकर इस खसरा नम्बर 3091 व 3092 की उत्तरी सीमा के सहारे से आज भी मौके पर चालू व विद्यमान है। इस प्रकार प्रार्थी के पास भूमि खसरा नम्बर 3091 व 3092 के सहारे–सहारे पूर्व–पश्चिम मौके पर मौजूद होकर चालू होने व प्रार्थी के द्वारा आवागमन करने से प्रार्थी के पास रास्ता पूर्व से मौजूद होने से प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की बदनियति से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 3091 व 3092 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की जॉच तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः करवाये जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तीन बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3091, 3092 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं होने तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3080 के लिए गै० मु० चाह के खसरा नम्बर 3094 को छोड़कर इसी खसरा नम्बर 3094 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 3091 में तथा खसरा नम्बर 3095 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है तथा यही रास्ता लघुत्तम एंव निकटतम रास्ता होना बताया है।

हमने [illegible]

सगौर मनन किया [illegible] जात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोक[illegible] स्पष्ट है कि प्रार्थी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2747, 3079, 3080 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर भूमियों का बाहमी बंटवारा करना तथा प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर और तारीख अहलकार की तामील
	[illegible] भूमि हैक्टर में आई भूमि खसरा नम्बर 3080 रकबा 0.0800 हैक्टर पर काबिज काश्त व आबाद चला आना प्रकट होता है। प्रार्थी के उक्त भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 3095 रकबा 1.4900 हैक्टर व 3091 रकबा 0.5900 हैक्टर [illegible] ग्राम [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर में से होकर आवागमन करने एवं अपने सामान वाहन ट्रैक्टर ट्रोली आदि को लाने ले जाने हेतु आवागमन बाबत अन्य कोई रास्ता नही होना पटवारी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एवं पक्षकारान् में उक्त रास्ते बाबत आपसी सहमति नही बन पाई है। अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौके की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तीन बिन्दुओं पर पुन: मौका जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 3080 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 3091, 3092 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं है तथा खसरा नम्बर 3094 किस्म गै0मु0 चाह के मौके पर सिवायचक कुए की मुण होने तथा मौके पर कुआ सुख जाने पर भरा जा चुका होने एवं भविष्य में उक्त भूमि का जल स्तर बढने पर पुन: गै0 मु0 चाह के रूप में काम लिया जाना सम्भावित होने से पूर्व में प्रस्तावित किये गये उक्त भूमि खसरा नम्बर 3094 किस्म गै0मु0 चाह को छोडकर इसी खसरा नम्बर 3094 की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 3091 व 3095 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थी के पास निकटतम व लघुतम रास्ता होने बाबत [illegible] जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पास [illegible] प्रस्तावित किये गये रास्ता के [illegible] उपलब्ध नहीं होना प्रकट होता है। अप्रार्थीगण ने अपने [illegible] प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3080 की रिहायशी आबादी के लिए कदीमी समय से खसरा नम्बर 3091 व 3092 की उत्तर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय मजमून/संक्षिप्त [illegible]

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible] भूमि से खसरा नम्बर 3091 व 3092 के सहारे-सहारे पूर्व [illegible] मौके पर मौजूद व निरन्तर होना अवगत कराया है तथापि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने पत्रांक 1859/राजस्व/2025 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा पुनः भिजवाई गई जांच रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 3080 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 3091, 3092 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नहीं होना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम होना तथा आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रकट होता है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1686/राजस्व/2025 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का अपनी निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम है तथा चाहे गये रास्ते में भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 3091 में 4 मीटर चौडाई व 94 मीटर लम्बाई में कुल 376 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 3095 में 4 मीटर चौडाई व 114 मीटर लम्बाई में कुल 456 वर्गमीटर कुल रकबा 832 वर्गमीटर रास्ता दिये जाने तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य [illegible] नहीं [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

[illegible] - 1291/24

दिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश कर निवेदित किया गया है। प्रार्थी ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले नियमानुसार कीमत अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 832 मीटर लम्बाई में एवं 4 मीटर की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 में प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा रास्ता निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न [illegible] लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते [illegible] प्रतिकर राशि का [illegible] दरों की दुगुनी [illegible] राशि प्रार्थी से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उप[illegible] नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 251 (A) प्रक. - 129/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
	प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। NOTE :– वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में निर्णय सुनाये जाने के उपरान्त अपील मियाद अवधि तक निर्णय की पालना स्थगित किये जाने हेतु आवेदन किया। जिसे स्वीकार किया जाना न्यायहित प्रतीत होता है। **–:: क्रियात्मक आदेश ::–** अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को नन् ग्राम मउ पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3080 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 3091 में 4 मीटर चौडाई व 94 मीटर लम्बाई में कुल 376 वर्गमीटर एंव खसरा नम्बर 3095 में 4 मीटर चौडाई व 114 मीटर लम्बाई में कुल 456 वर्गमीटर कुल रकबा 832 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आने वाले सम्पूर्ण रकबे की भूमि का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की सिंचित दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि तहसीलदार [illegible] द्वारा आंकलित की जाकर राज्यकोष [illegible] प्रार्थी को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 में दर्शित 4 मीटर चौडाई व 832 वर्गमीटर लम्बाई की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मनोहर बनाम गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मुकदमा 25/RTA सं०वि० - 79/24
	सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियां बिला नाम सरकार किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी को संलग्न नजरी नक्शे दिनांक 24.07.2025 में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 3091 व 3095 में दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से (यदि पूर्व में दिनांक 02.01.2025 को भिजवाई गई डी.एल.सी. दरों की सूचि में कोई बदलाव हुआ हो तो) पुनः गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त दिगर न्यायालय का स्थगन ना होने पर राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। NOTE :- वकील अप्रार्थी के आवेदन पर उक्त निर्णय की पालना निर्णय दिनांक से अपील की मियाद अवधि तक स्थगित की जाती है। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 13:06:19 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)